

D.N. 316
16/5/17

1

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ जिला भीलवाडा(राज०)

प्रकरण संख्या 1)/2017

दुर्गलाल माह.पि. बनाम महावीर माह.पि. सुराकाठ माह.
बंशीलाल माह.
पि. जापरपुरा पि. माण्डलगढ

प्रार्थनापत्र-अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0

- आदेश :-

दिनांक- 15/5/17

प्रार्थनापत्र प्रार्थीश्री दुर्गलाल माह ने जरिये अधिवक्ता श्री डॉ.म. उमेश पालीवाल प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे एकल/गैरखाते की भूमि ग्राम गेणोली प0ह0 गेणोली तह0 माण्डलगढ में आराजी न0 211

किता 1 रकबा 4 बीघा 01 बिस्वा भूमि स्थित है। विपक्षीगण आय दिन विवाद को लेकर झगडा फिसाद करते है। अतःपत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ मे प्रार्थनापत्र की ताईद मे शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया, प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली मे संलग्न जमाबंदी सम्वत् के अवलोकन से प्रार्थी बशामलात आराजीयात का खातेदार/गैरखातेदार काश्तकार है। पडौसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0ले0रे0ए0क्ट स्वीकार किया जावे ग्राम गेणोली की आराजी न0 211

रकबा 4 बीघा 01 बिस्वा की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी किये जाने के आदश दिये जाते है। भू-अभिलेख निरीक्षक को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 200 /रुपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। एवं पत्थरगढी की शुल्क राशि 100 /रुपये राजकोष मे जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार माण्डलगढ को लिखवा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी